

कार्यालय, धनबाद नगर निगम, धनबाद।

पत्रांक 12/घननि  
13-14

दिनांक 3-11-13

012

अनुज्ञप्ति

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 156 (i) (ख) एवं 456 (i) के अन्तर्गत प्रदात।

M/S RIGHT VALUERS

की Shashi Shushan Singh निवासी का नाम Lt. Dasogard Singh

प्लॉट नं० 25 गृहसंख्या 25 गृहसंख्या 25 गृहसंख्या 25 गृहसंख्या 25

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत फर्म/प्रतिष्ठान का नाम Right Valuers

प्लॉट नं० \_\_\_\_\_ गृह संख्या \_\_\_\_\_ प्लॉट नं० 25 गृहसंख्या/काईलेन

में Dhaya Dhanbad व्यवसाय Civiling Professional के लिए

निर्धारित शुल्क 2500/- (Two thousand five hundred) रुपये

विश्व रसीद संख्या 6464 दिनांक 12/11/13 द्वारा प्राप्त कर

वर्ष 2013-14 के लिए अनुज्ञप्ति विन्नायित सर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

सर्त :-

1. अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलताक जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिवार वृद्धि की सूचना निगम को देनी अनिवार्य है।
3. व्यवसाय स्थल/कार्यालय में अनुज्ञप्ति की प्रति प्रदर्शित करनी होगी।
4. व्यवसाय बन्द करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
5. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है, उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
6. यह अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी ऐसे में प्रत्येक वर्ष के मार्च माह के अंतिम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना अनिवार्य है।
7. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
8. नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 456 के अन्तर्गत कार्य रद्द होगा।
9. अनुज्ञप्ति निरस्त करने पर अधिकार नगर आयुक्त को सुरक्षित है।



30/11/13

निबंधन पदाधिकारी,  
धनबाद नगर निगम, धनबाद।